

2023/161.

फर्द अहकाम

खारीज
25.7.2024

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
नेतराम बनाम जीवनराम आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 112 वर्ष 2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुये

10.10.
2023

प्रार्थी की तरफ से वकील श्री दयालाराम भाटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 17.11.2023 को पेश हो।

17.11.2023

श्री दयालाराम भाटी
वकील ए. फरीकन उपास्थित/PU भाट
पत्रावली है। पत्रावली
गस्त 22/11/23 दिनांक 18.11.2023
को पेश हो

18.11.2023

श्री दयालाराम भाटी
वकील ए. फरीकन उपास्थित/PU भाट
पत्रावली है। पत्रावली
गस्त 22/11/23 दिनांक 19.11.2023
को पेश हो

19.11.2023

श्री दयालाराम भाटी
वकील ए. फरीकन उपास्थित/PU भाट
पत्रावली है। पत्रावली
गस्त 22/11/23 दिनांक 22.11.2023
को पेश हो

23.11.2023

श्री दयालाराम भाटी
वकील ए. फरीकन उपास्थित/PU भाट
पत्रावली है। पत्रावली
गस्त 22/11/23 दिनांक 23.11.2023
को पेश हो

23-7-2024

श्री दयालाराम भाटी
वकील ए. फरीकन उपास्थित/PU भाट
पत्रावली है। पत्रावली
गस्त 22/11/23 दिनांक 25.7.2024
को पेश हो

25.7.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री दयालाराम भाटी वकील श्री जीवनराम आदि के आर-आर आवाज लगाई और नोटिस जारी नहीं। पत्रावली - पत्र 212 अन्तर्गत प्रिक्वेन्साला चक्रम हाजरी अ अहकाम फर्द की खारीज किया जा रहा है। पत्रावली नम्बर दो काम की जाकर क्रम तदर्थीक तदर्थीक जा रहा हाजिर दफतर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

